फर्द अहकाम

गिरधारी बनाम भगीरथ वगै

SDO शाहपुरा

5/2016

	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	इस तथा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि भराजी ख.न. 166, 168, 174 व 137 कुल क्षेत्र 4 बीघा 1-41 है० सीमे वाके ग्राम माच्योकावास तहसील शाहपुरा मे बदे सुल्तान जगदीश कानाराम मुकेश इन्द्राज पि० गिरधारी, चम्पादेवी पत्नि गिरधारी पि० सीतादेवी पुत्री गिरधारी पत्नि रामचन्द्र पि० चोथीकोठी भगवती पुत्री गिरधारी पत्नि मुकेश पि० चोथी कोठी जाति गुर्जर हि० 1/3 व प्रतिवादी भगीरथ रामलाल पि० डालू जाति गुर्जर नि० माच्योकावास हि० 2/3 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा नियमानुसार रहेगा। राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

सुल्तान

जगदीश

कानाराम

मुकेश

इन्द्रराज

नि. सीताबेवी

भगवती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

मुकदमा नम्बर - 69/2016
पीठासीन अधिकारी - टी बी विजय

उनवान

मुकदमा दावा जालूराम-गुर्जर निवासी माचोका बास तन देवन तहसील शाहपुरा-जयपुर
1.जगदीश, 1.3 कानाराम 1.4 मुकेश 1.5 इन्द्राज पुत्रान गिरधारी
1.6 पत्नि गिरधारी, 1.7 सीता देवी पुत्री गिरधारी, 1.8 भगवती पुत्री गिरधारी
समस्त जाति-गुर्जर निवासी माचो का बास तन देवन
तहसील- शाहपुरा- जयपुर

वादीगण

बनाम

मुकदमा दावा जालूराम-गुर्जर (मृतक द्वारा विधिक)
1.जालूराम-गुर्जर जाति-गुर्जर निवासी-माचो का बास तन देवन
तहसील- शाहपुरा जयपुर
2.बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शाहपुरा जरिए प्रबंधक शाखा शाहपुरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील शाहपुरा- जयपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत दुरस्ती इन्द्राज खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 12-1-2018

दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि मौजी खसरा नम्बर
कुल किता 5 रकबा 1.41 है. भूमि वाके ग्राम माचोका बास तहसील-
शाहपुरा के वादी सुल्तान, जगदीश, कानाराम, मुकेश, इन्द्राज पि० गिरधारी, चापा
पत्नि गिरधारी निवासी माचो का बास, सीता देवी पुत्री गिरधारी पत्नि रामचन्द्र
चोली कोठी, भगवती पुत्री गिरधारी पत्नी मुकेश निवासी चोली कोठी जाति-गुर्जर
व प्रतिवादी भागीरथ, रामस्वरूप पि० जालू जाति-गुर्जर नि० माचो का बास
तहसील शाहपुरा काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय कानून
के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।
पक्षकारान अपना-2 वहन करेंगे।
आज तारीख 12-1-2018 को मेरे हस्ताक्षर से मामलात की रुजु
की गई।

(टी बी विजय)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

(टी बी विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस	
		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	